"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 अप्रैल 2014—वैशाख 5, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कुमारी इशिता तिवारी पिता डॉ. निशीथ तिवारी, आयु 24 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 1 ए, सड़क नं. 32, सेक्टर-7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मैंने कक्षा पहली से लेकर बी.ए. अंतिम वर्ष तक की शिक्षा 2009 में प्राप्त की है तथा मेरे समस्त शाला प्रमाण पत्रों में मेरा नाम शिल्पा तिवारी आत्मजा निशीथ तिवारी दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर कु. इशिता तिवारी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे कु. इशिता तिवारी पिता श्री निशीथ तिवारी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
शिल्पा तिवारी पिता-डॉ. निशीथ तिवारी निवासी-क्वा. नं. 1 ए, सड़क नं. 32, सेक्टर-7 भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	इशिता तिवारी पिता-डॉ. निशीथ तिवारी निवासी-क्वा. नं. 1 ए, सड़क नं. 32, सेक्टर-7 भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शेख अहमद पिता मरहूम शेख हसन, उम्र 55 वर्ष, निवासी-म. नं. 1680, नूरानी चौक, राजा तालाब रायपुर (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालय) तक की अंकसूची में मेरा नाम शेख अहमद दर्ज है तथा मेरे सर्विस रिकार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पेन कार्ड, निर्वाचन कार्ड एवं राशन कार्ड में मेरा नाम अहमद रजा शेख दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अहमद रजा शेख रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अहमद रजा शेख पिता मरहूम शेख हसन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
शेख अहमद पिता-मरहूम शेख हसन निवासी-म. नं. 1680, नूरानी चौक, शफीक मंजिल, राजातालाब रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)	अहमद रजा शेख पिता-मरहूम शेख हसन निवासी-म. नं. 1680, नूरानी चौक, शफीक मंजिल, राजातालाब रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कविता बेगम पति श्री शेख फर्याजुद्दीन, उम्र 27 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 5, ए.सी.सी. लेबर केम्प जामुल तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कविता गौतम पिता श्री बीर बहादुर था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों/अंकसूची में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 10-7-2008 को श्री शेख फर्याजुद्दीन पिता श्री शेख फैजुद्दीन के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती कविता बेगम रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती कविता बेगम पति श्री शेख फर्याजुद्दीन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कविता गौतम पिता-श्री बीर बहादुर निवासी-वार्ड नं. 5, ए.सी.सी. लेबर केम्प जामुल तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती कविता बेगम पति-श्री शेखर फर्याजुद्दीन निवासी-वार्ड नं. 5, ए.सी.सी. लेबर केम्प जामुल तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भीखम सिंह वर्मा पिता स्व. अंजोर सिंह वर्मा, आयु 53 वर्ष, जाति कुर्मी, निवासी-आजाद चौक, राम नगर वार्ड नं. 12, पो. सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं श्री कमलेश वर्मा एवं पत्नी सविता वर्मा की सहमति से उनके पुत्र हर्ष कुमार वर्मा को गोद लिया हूं. हर्ष कुमार वर्मा पिता श्री कमलेश कुमार वर्मा उनके समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य अभिलेखों में दर्ज है. मैं हर्ष कुमार वर्मा के पिता के नाम को परिवर्तित कर भीखम सिंह वर्मा दर्ज कराने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे हर्ष कुमार वर्मा पिता श्री भीखम सिंह वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
हर्ष कुमार वर्मा पिता-श्री कमलेश कुमार वर्मा निवासी-आजाद चौक, रामनगर वार्ड नं. 12, भिलाई पोस्ट सुपेला, जिला दुर्ग (छ.ग.)	हर्ष कुमार वर्मा पिता-श्री भीखम सिंह वर्मा निवासी-आजाद चौक, रामनगर वार्ड नं. 12, भिलाई पोस्ट सुपेला, जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राज बहादुर लिम्बू आत्मज स्व. मान बहादुर लिम्बू, उम्र 38 वर्ष, निवासी-एम.आई.जी.II/25, महाराणा प्रताप नगर, कोरबा, तहसील व जिला कोरबा (छ.ग.) वर्तमान में 132 के. व्ही. सबस्टेशन सी.एस.पी.टी.सी.एल. दर्री में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूं. मैं अपने उप नाम लिम्बू को परिवर्तित कर अपना नया नाम राज बहादुर सुब्बा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में समक्ष प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे राज बहादुर सुब्बा आत्मज स्व. मान बहादुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
राज बहादुर लिम्बू आत्मज-स्व. मान बहादुर निवासी-एमआईजी II/25, महाराणा प्रताप नगर साडा कालोनी कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)	राज बहादुर सुब्बा आत्मज-स्व. मान बहादुर निवासी-एमआईजी II/25, महाराणा प्रताप नगर साडा कालोनी कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती यासमीन खान जौजे जुनैद अहमद खान, उम्र 46 वर्ष, निवासी-ए-8, विशाल नगर, छ.ग. होटल के पीछे रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मैं कुमारी योगिता शर्मा आत्मजा श्री वेदप्रकाश शर्मा के नाम से जानी पहचानी जाती थी. मेरा विवाह दिनांक 5-6-1990 को श्री जुनैद अहमद खान पिता अब्दुल सुबुर खान के साथ इस्लाम धर्मानुसार सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती यासमीन खान रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती यासमीन शान पति श्री जुनैद अहमद खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कुमारी योगिता शर्मा आत्मजा-श्री वेदप्रकाश शर्मा निवासी-ए-8, विशाल नगर, छ.ग. होटल के पीछे रायपुर (छ.ग.)	श्रीमती यासमीन खान पति-जुनैद अहमद खान निवासी-ए-8, विशाल नगर, छ.ग. होटल के पीछे रायपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अंशु कुमारी शर्मा पति श्री अमन शर्मा, उम्र 31 वर्ष, निवासी एमआईजी एस-396, फेस-2, कबीरनगर, टाटीबंद रायपुर (छ.ग.) की हूं. विवाह पूर्व मेरा नाम कु. अंशु शर्मा आत्मजा श्री अशोक कुमार शर्मा था. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती अंशु कुमारी शर्मा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती अंशु कुमारी शर्मा पति श्री अमन शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. अंशु शर्मा आत्मजा-श्री अशोक कुमार शर्मा निवासी-एमआईजी एस-396, फेस-2, कबीरनगर टाटीबंद रायपुर (छ.ग.)	श्रीमती अंशु कुमारी शर्मा पति-श्री अमन शर्मा निवासी-एमआईजी एस-396, फेस-2, कबीरनगर टाटीबंद रायपुर (छ.ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी धमतरी

धमतरी, दिनांक 26 मार्च 2014

क्रमांक/53/वा.-1/अ.वि.अ./2013.—ग्राम/शहर धमतरी के सम्मानीय शिक्षाविद श्री गौरीशंकर श्रीवास्तव जी का निधन दिनांक 08 मार्च 2013 को हो गया. उनके द्वारा 19 जुलाई 2011 को एक पंजीकृत इच्छा पत्र (**वसीयत** नामा) अभिलेख बनाए गए हैं जिसके अनुसार उनकी समस्त संपत्तियों का उपयोग जन कल्याण परमार्थ कार्य करने की इच्छा व्यक्त की गई है. जिस हेतु उनके तरफ से डॉ. श्री इंदरचंद जैन एवं डॉ. श्री हीरा महावर धमतरी को वसीयत पत्र का संयुक्त निष्पादक नियुक्त किया गया है. सार्वजनिक न्यास घोषित बाबत अनुबंध पत्र दिनांक 13-03-2004 को सर जी.एस. श्रीवास्ताव चेरीटेबल ट्रस्ट धमतरी का डॉ. श्री इंदरचंद जैन एवं डॉ. श्री हीरा महावर द्वारा निष्पादित किया गया.

श्री गौरीशंकर श्रीवास्तव के वसीयतनामा के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध चल संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है :—

1. भारतीय स्टेट बैंक शाखा धमतरी में सावधि जमा 10,21,722.00 रु.
2. भारतीय स्टेट बैंक शाखा धमतरी में निवेशित राशि 60,858.00 रु.
3. भारतीय स्टेट बैंक शाखा धमतरी में निवेशित राशि 50,000.00 रु.
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा धमतरी में निवेशित राशि 1,09,308.00 रु.
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा धमतरी में निवेशित राशि 1,10,112.00 रु.
6. भारतीय स्टेट बैंक शाखा धमतरी में बचत खाता में राशि 62,486.58 रु.
7. भारतीय स्टेट बैंक शाखा धमतरी में बचत खाता में राशि 29,133.16 रु.
8. रमेश पंजवानी के पास जमा राशि 39,000.00 रु.

उपरोक्त चल संपत्ति के अतिरिक्त कोई अचल संपत्ति नहीं है. सर जी.एस. श्रीवास्तव चेरीटेबल कल्याणकारी ट्रस्ट घोषित किये जाने हेतु निर्धारित फार्म 3 नियम 4 (2) के अंतर्गत आवेदक डॉ. श्री इंदरचंद जैन एवं डॉ. श्री हीरा महावर द्वारा अपने अधिवक्ता श्री अमरचंद जैन के माध्यम से पेश किया गया है.

उपरोक्त के संबंध में धमतरी के जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति दावा हो तो पेशी दिनांक 28-04-2014 को नियत समय पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं. म्याद बाद प्राप्त दावे पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी.

आज दिनांक 26-03-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा के द्वारा उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया.

जी. आर. राठौर,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.